

राजस्थान उच्च न्यायालय

जयपुर बेंच

एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 6705/2015

हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, भारतीय कंपनी अधिनियम के तहत पंजीकृत एक सरकारी कंपनी है, जिसका कॉर्पोरेट कार्यालय इंडिया हैबिटेड सेंटर, लोधी रोड, नई दिल्ली 110 003 में है और इसका एक क्षेत्रीय कार्यालय हुडको भवन, विद्युत मार्ग, ज्योति नगर, जयपुर में है।

----याचिकाकर्ता

बनाम

- आवास विकास संस्थान, आवास भवन, आरएचबी बिल्डिंग, जनपथ, ज्योति नगर, जयपुर अध्यक्ष, आवास विकास संस्थान परिसमापन समिति के माध्यम से।
- ओरिएण्टल बैंक ऑफ कॉमर्स, मिर्जा इस्माइल रोड, जयपुर।
- राजस्थान हाउसिंग बोर्ड, आवास भवन, जनपथ, जयपुर 302005 (राजस्थान)।
- ऋण वसूली न्यायाधिकरण, नेहरू प्लेस, टॉक रोड, जयपुर।
- ऋण वसूली अपीलीय न्यायाधिकरण, सम्राट होटल, नई दिल्ली।

----उत्तरदाता

याचिकाकर्ता(ओं) के लिए : सुश्री कीर्ति कपूर

उत्तरदाता (ओं) के लिए : श्री महेश शर्मा, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से, श्री महेश चंद गौतम

माननीय श्री न्यायमूर्ति अवनीश झांगन

आदेश10/12/2024

- यह याचिका ऋण वसूली अपीलीय न्यायाधिकरण (डीआरएटी) द्वारा पारित दिनांक 05.04.2011, 03.02.2015 के आदेशों तथा ऋण वसूली न्यायाधिकरण (डीआरटी) द्वारा पारित दिनांक 27.12.2007 के आदेश को रद्द करने की मांग करते हुए दायर की गई है, जिसमें ब्याज दर को 13.75% की संविदात्मक दर से घटाकर छह मासिक अवकाश सहित 10% प्रति वर्ष कर दिया गया था।

- संक्षिप्त तथ्य यह है कि याचिकाकर्ता कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत पंजीकृत एक

वित्तीय संस्थान है। याचिकाकर्ता ने राजमिस्त्रियों और कारीगरों को प्रशिक्षण देने हेतु केंद्र स्थापित करने हेतु प्रतिवादी संख्या 1 को 90 लाख रुपये का कार्यशील पूंजी ऋण दिया था। ऋण सुरक्षित करने के लिए 10-10 लाख रुपये की नौ बैंक गारंटी प्रस्तुत की गई थीं। प्रतिवादी ने भुगतान में चूक की और प्रतिवादी संख्या 1 को ब्याज सहित 40,72,040 रुपये की राशि वसूलने के लिए दिनांक 12.09.2002 को एक नोटिस जारी किया गया।

3. प्रतिवादी संख्या 1 ने एसबीसीडब्ल्यूपी संख्या 1112/2002 दायर की और उसे बैंक गारंटी भुनाने के विरुद्ध अंतरिम संरक्षण प्रदान किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 को प्रतिवादी संख्या 3- राजस्थान आवासन मंडल (आरएचबी) ने अपने अधीन कर लिया और वह ऋण चुकाने में विफल रहा।

4. बैंकों एवं वित्तीय संस्थाओं को देय ऋण वसूली अधिनियम, 1993 के अंतर्गत दायर मूल आवेदन को आंशिक रूप से स्वीकार किया गया। याचिकाकर्ता को प्रतिवादी संख्या 1 एवं 3 से 10% प्रति वर्ष की दर से ब्याज सहित 30,63,789/- रुपये की राशि वसूलने का हकदार माना गया।

5. याचिकाकर्ता की ब्याज दर को संविदात्मक ब्याज दर, अर्थात् 13.75% प्रति वर्ष, के बराबर बढ़ाने और साथ ही 2.75% प्रति वर्ष की अतिरिक्त दंडात्मक ब्याज दर लगाने की अपील खारिज कर दी गई। ऋण वसूली एवं दिवालियापन अधिनियम, 1993 की धारा 19(20) और सरदार एसोसिएट्स एवं अन्य बनाम पंजाब एवं सिंध बैंक एवं अन्य (एआईआर 2010 (एससी) 218 में प्रकाशित) में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के आधार पर, ब्याज दर तय करने में डीआरटी द्वारा प्रयोग किए गए विवेकाधिकार को बरकरार रखा गया।

6. याचिकाकर्ता द्वारा दायर पुनर्विचार याचिका को विचारणीय न मानते हुए और इस आधार पर खारिज कर दिया गया कि अपील में ऐसा कोई मुद्दा नहीं उठाया गया था। अतः वर्तमान याचिका।

7. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि याचिका लंबित रहने के दौरान प्रतिवादी संख्या 1 ने डिफ़ीटल राशि जमा कर दी है। अब केवल डीआरटी द्वारा दी जाने वाली ब्याज दर का मुद्दा बाकी है।

8. डी.आर.टी. ने 10% की दर से ब्याज देने में अपने विवेक का प्रयोग किया। अपीलीय प्राधिकारी ने आदेश को बरकरार रखते हुए सरदार एसोसिएट्स एवं अन्य (सुप्रा) मामले में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का हवाला दिया, जिसमें यह माना गया था कि लंबित और

भविष्य के ब्याज पर ब्याज देना न्यायालय का विवेकाधिकार है। एक अन्य पहलू यह है कि प्रतिवादियों द्वारा पहले ही डिक्री राशि जमा कर दी गई है। ब्याज देने में तथ्यात्मक या कानूनी त्रुटि का कोई मामला नहीं बनता।

9. सुविचारित आक्षेपित आदेशों में हस्तक्षेप का कोई मामला नहीं बनता। रिट याचिका खारिज की जाती है।

(अवनीश झिंगन),जे

सिंपल कुमावत /26

क्या रिपोर्ट योग्य है:हाँ

"अस्वीकरण- इस निर्णय का अनुवाद स्थानीय भाषा में किया जा रहा है, एवं इसका प्रयोग केवल पक्षकार इसको समझने के लिए उनकी भाषा में कर सकेंगे एवं यह किसी अन्य प्रयोजन में काम नहीं ली जायेगी। सभी अधिकारिक एवं व्यवहारिक उद्देश्यों के लिए उक्त निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही विश्वसनीय माना जायेगा एवं निष्पादन एवं क्रियान्वयन में भी उसी को उपयोग में लिया जायेगा।"



Tarun Mehra

Advocate